

बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

आदेश

पटना, दिनांक:—.....

संख्या:—V/उ0-10-10/2016 (C.No.-203698) 1595 / श्री रंजन प्रसाद, अधीक्षक मद्यनिषेध, ग्रुप सेंटर, भागलपुर के सेवानिवृत्ति के उपरांत ग्रुप सेंटर, भागलपुर के कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि तथा अन्य विपत्रों के भुगतान में कठिनाई हो रही है।

2. अतः स्थायी रूप से अधीक्षक मद्यनिषेध, ग्रुप सेंटर, भागलपुर का पदस्थापन होने तक ग्रुप सेंटर, भागलपुर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं अन्य विपत्रों की निकासी हेतु श्री फैयाज अहमद, निरीक्षक मद्यनिषेध, ग्रुप सेंटर, भागलपुर को बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम-84 के अन्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:— V/उ0-10-10/2016 1595 पटना, दिनांक:—26.03.25

प्रतिलिपि:—1. महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रभारी पदाधिकारी, सी0एफ0एम0एस0 कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. बजट शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. समाहर्ता, भागलपुर/ श्री फैयाज अहमद, निरीक्षक मद्यनिषेध, ग्रुप सेंटर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. विभागीय प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव